हुक्म या कार्यवाही मय इनिथियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आदेश पत्रावली न्यायालय के द्वारा न्यायालय द्वारा में पेश कुर्की वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया जो वाद तरफीन शामिल पत्रावली किया गया वादग्रस्त वसूलाय राजीनामा सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होती मौजा नागौर स्थित विवादित खेत 29.0.235 हैक्टेयर 15.00 बिघा नामान्तरण संख्या 1506 दिनांक 7.4.2010 के द्वारा उक्त सम्पूर्ण खसरा गै.मु. आवासीय के रूप में रूपान्तरित होकर उक्त खसरे का रकबा नगर पालिका नागौर के नाम स्वीकृत हो चुका है वादग्रस्त खसरा गै.मु. आवासीय में रूपान्तरित हो जाने से उक्त खसरा बंटवारा कराने का न्यायालय द्वारा को क्षेत्राधिकार नहीं है न ही उक्त मामला अधीन धारा 53, 88 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत परिवादी / क्षेत्राधिकार नहीं होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है खारिज का डिक्री पत्रा जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो	अ.नि. अवधराम जोरावर सिंह सुनारम अ.नि. मिठाई Satyanarayan Bhuram वीरसिंह अ.नि.

सहायक कलक्टर
(SDO) नागौर

सेवा में,

श्रीमान जिला कलेक्टर
रायपुर

विषय- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र

महोदय,

निवेदन है कि मैं ग्राम पंचायत [illegible] का निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम [illegible] है। मेरे पिता का जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे पिता का जाति प्रमाण पत्र बनवाने की कृपा करें।

आपका विश्वासी

[illegible]

ग्राम [illegible]

तहसील [illegible]

दिनांक 11/7/08